

मार्टिन बर्न लिमिटेड

बनाम

कलकत्ता निगम

19 अगस्त, 1965

(ए.के. सरकार, रघुवर दयाल और वी. रामास्वामी माननीय
न्यायाधिपतिगण)

कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम, 1923- परिसर का मूल्यांकन धारा 127 ए के बजाय धारा 127 बी में गलत रूप से किया- अपील में उच्च न्यायालय ने सही मूल्यांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया- यदि प्रतिप्रेषण सही है तो मामला धारा 131(2)(बी) के अधीन निरस्तनीय है या धारा 147 व 164 में संशोधन होने योग्य ।

अपीलार्थी द्वारा धारित कुछ परिसरों का मूल्यांकन धारा 127 के खण्ड बी कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 में दी गयी मापदण्डों के अनुसार किया गया था । अपीलार्थी ने धारा 139 के अधीन आपत्तियां पेश की कि मूल्यांकन का आधार गलत था, बल्कि मूल्यांकन धारा 127 के खण्ड ए के अनुसार किया जाना था और मूल्यांकन अधिक किया गया था । उपायुक्त ने आपत्तियां खारिज की । केवलमात्र मूल्यांकन में थोड़ी कमी करते हुए धारा 141 के अधीन लघुवाद न्यायालय की अपील अनुज्ञात की और निर्देशित किया कि अधिशाषी अधिकारी धारा 131(2)(बी) के अधीन

की गयी कार्यवाही अनुसार धारा 127 के खण्ड ए के में नये सिरे से मूल्यांकन करें। रेस्पॉन्डेंट ने उक्त दलील को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसे खारिज किया गया।

यद्यपि उक्त धारा के अधीन मूल्यांकन के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है कि धारा 131(2)(बी) में दी गयी अवधि समाप्त होने पर वह मूल्यांकन नहीं कर सकता था, जो लघुवाद न्यायालय ने उसे निर्देशित किया था। निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के कारण निगम मूल्यांकन की दरों से वंचित होने पर उच्च न्यायालय ने अपने प्रतिप्रेषित आदेश में लघुवाद न्यायालय को स्वयं मूल्यांकन हेतु आदेशित किया।

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय द्वारा लघुवाद न्यायालय को मामले का प्रतिप्रेषण कि वार्षिक मूल्यांकन किया जावे यथावत नहीं रखा गया।

दरों का निर्धारण अधिनियम के अधीन वैधानिक दायित्व है और उक्त दायित्व का निर्धारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। कानून में यह प्रावधान नहीं है कि न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन से कोई वैधानिक दायित्व सृजित नहीं होता है। लघुवाद न्यायालय को नये सिरे से मूल्यांकन का आदेश निरर्थक होगा (548 सी-ई)

उच्च न्यायालय का लघुवाद न्यायालय को यह निर्देशित करना कि संशोधित या मूल्यांकन में बदलाव न किया जावे बल्कि नये सिरे से

मूल्यांकन किया जावे ऐसा उच्च न्यायालय का आदेश धारा 147 या 164 के अधीन बरकरार नहीं रखा जा सकता ।

रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल बनाम कलकत्ता निगम 58 सीडब्ल्यूएन 537 कायम नहीं रखा गया ।

(जैसा कि न्यायाधिपति रामास्वामी की असहमति)

(i) उच्च न्यायालय द्वारा धारा 127(ए) के अधीन दोनों पक्षकारों को अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को मामला पुनः मूल्यांकन हेतु प्रतिप्रेषित किया था, लेकिन अंततः मूल्यांकन अभिनिर्धारित नहीं किया जा सका बल्कि अंतिम आदेश का इंतजार किया गया। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं है कि धारा 131(2)(बी) के अनुसार मूल्यांकन रद्द कर दिया हो । वर्तमान मामला धारा 147 के अधीन मूल्यांकन का संशोधन था ताकि जब भी अंतिम मूल्यांकन हो वह पूर्वव्यापी रूप से प्रभारी रहे । (557 एच-558 बी)

(ii) यद्यपि अपीलार्थी द्वारा जो आपत्ति उठाई गयी वह धारा 139 के अधीन थी । आपत्ति का कोई भी कारण रहा हो लेकिन अपीलार्थी का उद्देश्य मूल्यांकन को अपास्त करवाना था । इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि उच्च न्यायालय का प्रतिप्रेषण आदेश अपील के दायरे से बाहर हो । (558 डी, जी)

सिविल अपीलेट न्यायक्षेत्र: सिविल अपील सं. 247 व 248/1963

विशेष अनुमति से अपील निर्णय व आदेश दिनांकित 3 अगस्त 1959 जो कि उच्च न्यायालय कलकत्ता की अपील आदेश संख्या 124 व 125/1956 के विरुद्ध ।

अपीलार्थी की ओर से नरेन डे अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.आर. बनर्जी व एस.एन. मुखर्जी ।

रेस्पॉण्डेन्ट की ओर से ए.वी. विश्वनाथा शास्त्री व पी.के. मुखर्जी ।

न्यायाधिपति सरकार व रघुवर दयाल द्वारा निर्णीत न्यायाधिपति रामास्वामी की असहमति का निर्णय ।

न्यायाधिपति सरकार- उक्त दोनों अपीलें कार्यवाही वार्षिक मूल्यांकन परिसर नंबर 12, मिशन रो, कलकत्ता जो अपीलार्थी के कब्जे में है । वार्षिक मूल्यांकन नगरपालिका दरों के अनुसार परिसर का मूल्यांकन इस अपील के माध्यम से एक सामान्य विधि का प्रश्न कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण का आदेश लघुवाद न्यायालय द्वारा वार्षिक मूल्यांकन किये जाने को विधि सम्मत् ठहराया गया था ।

वार्षिक मूल्य कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 के अधीन सुनिश्चित किया था । लेकिन यह अधिनियम कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1951 से निरसित व प्रतिस्थापित किया । लेकिन रेस्पॉण्डेन्ट निगम ने निरसित अधिनियम के अधीन मूल्यांकन किया था, यही प्रश्न अवधारित करना है ।

सुविधा की दृष्टि से इस अध्याय की धाराओं में जो प्रावधान वार्षिक मूल्यांकन अभिनिश्चित किये जाने के दिये गये हैं, उन्हें उल्लेखित किया जाना उचित है । अध्याय की धारा 124 के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन समेकित दर कलकत्ता में स्थित भूमि व भवन की 23% से अधिक नहीं होगी । धारा 127 का खण्ड ए व बी वार्षिक मूल्य निर्धारण के दो पारस्परिक तरीके बताता है । खण्ड-ए के अनुसार भवन किराये के लिए या साधारणतः किराये पर है वहां पर वार्षिक मूल्यांकन दर उस भूमि या भवन के किराये के आधार पर होगी । खण्ड-बी के अनुसार अन्य भूमि व भवन का वार्षिक मूल्यांकन लागत व मूल्य पर होगा । धारा 131(1) में यह प्रावधान है कि पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत समेकित दर पर किया गया मूल्यांकन अधिशाषी अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन मूल्यांकन नहीं किया जाता है वह तब तक प्रभावी रहेगा । ऐसा मूल्यांकन 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा । छः वर्ष पश्चात् अवधि की समाप्ति पर संशोधित मूल्यांकन किया जा सकेगा । धारा 131(2)(बी) में यह बताया है कि "कोई भी भूमि या भवन जिसका मूल्यांकन अनियमितता के आधार पर निरस्त कर दिया गया है । अधिशाषी अधिकारी द्वारा उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय मूल्यांकन किया जा सकता है । ऐसा मूल्यांकन शेष अवधि के लिए मान्य होगा । धारा 136 से 138 में मूल्यांकन व दर अदाकर्ताओं को नोटिस दिया जाना है । धारा 139 के अनुसार यदि दर अदाकर्ता मूल्यांकन से असंतुष्ट है तो निगम में आपत्तियां पेश कर सकता है

। धारा 140 के अनुसार अधिशाषी अधिकारी आपतियों के निस्तारण के बाद आदेश पारित करेगा । धारा 141 के अनुसार जहां अदाकर्ता धारा 140 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है, वह लघुवाद न्यायालय में अपील कर सकता है । धारा 142(3) के अनुसार लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतर्गत धारा 141 की अपील उच्च न्यायालय में कर सकेगा । धारा 147 में निम्न शर्तें दी गयी हैं कि जहां पर धारा 139 या 146 की उपधारा (2) के अधीन मूल्यांकन पर उठाई गयी आपतियों के अनुक्रम में कोई संशोधन किया गया है या धारा 141 के अधीन अपील की गयी है, वहां पर संशोधित मूल्यांकन उस तिमाही से प्रभावी होगा जहां पर सर्वप्रथम मूल्यांकन किया गया था । यद्यपि धारा 146 इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है । धारा 164(1) के अनुसार "जब धारा 139 के अधीन किसी मूल्यांकन पर आपत्ति की गयी है तो आपत्ति के अंतिम रूप से निस्तारण तक समेकित दर की अदायगी पूर्व मूल्यांकन पर होगी ।" उपधारा 2 के अनुसार जहां आपत्ति का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया और पूर्व मूल्यांकन बदल दिया गया है वहां पर अतिरिक्त अदायगी की राशि वापस कर दी जायेगी या निगम की कोई बकाया है तो उसमें मुजरा की अनुमति दी जायेगी । उक्त धाराओं में यह वर्णित किया गया है कि दरें कैसे वसूल की जावेंगी हालांकि इनका संदर्भ आवश्यक नहीं है । यहां पर बताना ही पर्याप्त होगा कि विधिवत मूल्यांकित दरों की अदायगी का कानूनी दायित्व है या उन्हें न्यायालय में कार्यवाही कर लागू कराया जा सकता है ।

हस्तगत प्रकरण में निगम ने धारा 127 के खण्ड बी में दिये गये रीति अनुसार एक निश्चित आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया गया था । अपीलार्थी ने धारा 139 के अधीन कई आपत्तियां उठाई थी । यहां पर केवलमात्र दो आपत्तियां ही विचाराधीन हैं जिनमें से पहली- मूल्यांकन धारा 127 के खण्ड 2 में दिये गये प्रावधान अनुसार नहीं किया गया था बल्कि गलत आधार पर किया था । दूसरा, मूल्यांकन प्रत्येक स्थिति में अनुचित व अत्यधिक था । उपायुक्त जिसे नवीन अधिनियम में अधिशाषी अधिकारी के स्थान पर प्राधिकृत किया गया था, ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था सिवाय कि अत्यधिकता के आधार पर मूल्यांकन में कमी की थी । अपीलार्थी ने धारा 141 के अधीन उपायुक्त के निर्णय के विरुद्ध लघुवाद न्यायालय में अपील संस्थित की थी । अपील में केवलमात्र यह आपत्ति उठायी गयी कि मूल्यांकन धारा 127 के खण्ड बी के अनुसार किया गया है जबकि मूल्यांकन धारा 127 के खण्ड "ए" के अधीन अपेक्षित था । उसने यह दलील नहीं दी कि मूल्यांकन अधिक किया है और उसे कम किया जाना चाहिए । निगम की ओर से यह तर्क दिया कि मूल्यांकन धारा 127 के खण्ड "बी" के अनुसार सही किया है तथा अपील में पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया है । न्यायालय ने दोनों बिन्दुओं को खारिज किया और अपील में आदेश पारित किया कि "अपील अनुमत होगी कि रैस्पॉन्डेंट निगम द्वारा मूल्यांकन अपास्त किया जाता है तथा आदेशित किया कि

धारा 131 की उपधारा 2 में दी गयी कार्यवाही के अनुसार नये सिरे से मूल्यांकन धारा 127 के खण्ड ए के अनुसार किया जावे ।"

इसके पश्चात् निगम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में धारा 142(3) के अधीन लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की और वही दोनों बिन्दु उठाये जो लघुवाद न्यायालय के समक्ष उठाये थे । उच्च न्यायालय ने दोनों बिन्दुओं को खारिज करते हुए लघुवाद न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा । ये दोनों बिन्दुओं के संबंध में कोई चुनौती उच्च न्यायालय में नहीं दी है । इस प्रकार हमारे समक्ष धारा 127 के खण्ड "ए" की प्रयोज्यता इस प्रकरण में विचाराधीन नहीं है और न ही न्यायशुल्क का बिन्दु ।

उक्त निर्णय को देखते हुए मूल्यांकन धारा 127 के खण्ड "बी" में विहित रीति से किया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विद्वान न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय, कलकत्ता ने निर्धारण को सही खारिज किया है । ऐसा करने के बाद, यह निर्धारित किया कि लघुवाद न्यायालय द्वारा पुनर्निर्धारण का आदेश व्यर्थ था । यह विवादित नहीं है कि निगम धारा 131(2)(बी) के अनुसार पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन इस धारा की प्रयोज्यता की समय सीमा समाप्त हो गयी थी । इस प्रकार धारा 131(2)(बी) की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने लघुवाद न्यायालय को स्वयं मूल्यांकन हेतु आदेशित

किया । निगम दो लघुवाद न्यायालय के समक्ष मूल्यांकन हेतु कुछ परिमाणिक निर्देश भी दिये । इस न्यायालय के समक्ष उसी प्रतिप्रेषित आदेश को चुनौती दी गयी है ।

यह तर्क नहीं है कि उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषण का आदेश देने की वैधानिक शक्ति नहीं थी बल्कि उच्च न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियां थी । यद्यपि यह संदेहास्पद हो सकता है कि ऐसे मामले में उच्च न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियां प्राप्त थी । अधिवक्ता अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि प्रतिप्रेषण का आदेश अनुचित था क्योंकि उसकी अपील के मूल स्वरूप को ही एक अलग कार्यवाही में परिवर्तित कर दिया । यह भी कहा गया कि अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग उस विवाद के संबंध में किया जा सकता है जिनमें मामला उठाया गया हो न कि उन कार्यवाहियों में जहां पर वह बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय में उठाया ही नहीं गया हो । जैसा कि नये सिरे से मूल्यांकन करना । इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है ।

उनका मानना था कि प्रतिप्रेषण के आदेश में अन्य मूलभूत आपत्तियां भी थी । उक्त आदेश इसलिए पारित किया कि ताकि अपीलार्थी पर मूल्यांकन दायित्व का भार आ जावे । वास्तव में उच्च न्यायालय ने आदेश इसलिए पारित किया ताकि निगम उसकी मूल्यांकित दरों से वंचित न हो । यद्यपि उक्त दायित्व कानूनी रूप से विधिक दायित्व है । यह ऐसा दायित्व नहीं है कि न्यायालय द्वारा लागू किया जावे । यह स्पष्ट है इस संबंध में

कोई विवाद नहीं है । विधिक दायित्व के लिए मूल्यांकन विधि के अनुसार होना चाहिए । अधिनियम में यह कहीं भी नहीं है कि दरें न्यायालय द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर तय की जा सकती हैं। यह न्यायालय द्वारा मूल्यांकित दर पर कोई विचार नहीं करता है । ऐसे मूल्यांकन से कोई विधिक दायित्व सृजित नहीं होगा । इसलिए उच्च न्यायालय ने अपने आदेश से मामला वापस लघुवाद न्यायालय को वार्षिक मूल्यांकन निर्धारण हेतु भेजा था । इसका आशय यह नहीं था कि न्यायालय स्वतंत्र रूप से स्वयं मूल्यांकन करे । इस आधार पर मूल्यांकित दरों पर कोई दायित्व नहीं बनेगा । यह ऐसा आदेश नहीं है जिसे जारी रखा जावे ।

हालांकि अधिनियम में न्यायालय को मूल्यांकन की शक्तियों नहीं हैं । इसका अर्थ यह होगा कि निगम द्वारा धारा 147 व 164 के अधीन अभिनिर्धारित मूल्यांकन को अपील में संशोधित व परिवर्तित किया जा रहा है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के आदेश के तहत लघुवाद न्यायालय को जो मूल्यांकन करना था वह एक संशोधित मूल्यांकन है । उक्त मूल्यांकन कानूनन व प्रभावी रहेगा । यद्यपि वह मूल्यांकन संशोधित व परिवर्तित नहीं माना जावेगा । प्रथमतः उच्च न्यायालय ने लघुवाद न्यायालय को यह आदेशित ही नहीं किया कि मूल्यांकन को संशोधित या परिवर्तित किया जावे । बल्कि न्यायालय ने नये सिरे से मूल्यांकन का आदेश दिया था । द्वितीय हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश से मूल्यांकन कैसे करना है नहीं कहा है जिससे

मूल्यांकन का संशोधन या परिवर्तन एक कल्पना प्रतीत होती है । यहां पर पूर्व का मूल्यांकन रद्द कर दिया था इसलिए वह अस्तित्व में ही नहीं है । लघुवाद न्यायालय को अब विभिन्न आधार व आंकड़ों पर मूल्यांकन करना है । अब मूल्यांकन किराये के आधार पर किया जावेगा न कि भूमि व भवन की बाजारू कीमत व निर्माण लागत के आधार पर जैसा कि निगम ने पूर्व में किया था । यहां पर कुछ भी संशोधित या परिवर्तित नहीं किया गया है बल्कि एक नई चीज की शुरुआत की गयी है । किसी चीज को संशोधित या परिवर्तित तब माना जाता जब उसे कुछ संशोधनों के साथ जारी रखा जाता है । इस प्रकार जहां मूल्यांकन किराया, लागत या मूल्य पर आधारित है और उसमें अत्यधिक परिवर्तन किया जाता है वहां पर उसे परिवर्तित या संशोधित माना गया था । हस्तगत मामला बिल्कुल ही भिन्न है । इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा जो मूल्यांकन का आदेश दिया था वह संशोधित या परिवर्तन की परिधि में नहीं आता है ।

यहां पर रायल ऐशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल बनाम कलकत्ता निगम के मामले को उल्लेखित करना आवश्यक है । उक्त मामले में दर अदाकर्ता ने लघुवाद न्यायालय में अपील निगम द्वारा निर्धारण धारा 127 के खण्ड ए में गलत रूप से करना बताया था । उक्त दलील अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज की थी लेकिन उच्च न्यायालय ने मानी थी । उच्च न्यायालय ने मामला धारा 127 के खण्ड बी के अनुसार वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु आदेशित किया था । इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह

माना था कि लघुवाद न्यायालय को धारा 147 के अधीन निर्धारण करना था । इस प्रकार उक्त धारा व धारा 164 को आधार मानते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जैसा पेज 544- "अधिनियम के अनुसार जहां पर निर्धारिती निगम द्वारा किये गये मूल्यांकन से व्यथित है और अपनी आपत्ति पेश करता है ऐसी स्थिति में जब तक आपत्तियों का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हो जाता है मौजूदा मूल्यांकन पर समेकित दर का भुगतान रकना होगा । जैसे ही आपत्तियां का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है निर्धारक अंतिम मूल्यांकन देय दर निर्धारित करेगा जब तक धारा 147 के अनुसार अंतिम निर्धारण जारी रहेगा।" सम्मानपूर्वक हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अधिनियम की यह भावना हो । जहां मूल्यांकन संशोधित किया गया है वहां पर ये निर्देश (पर्यवेक्षण) पूरी तरह लागू होता है । यह पहले भी उल्लेखित किया जा चुका है कि जहां अपील में मूल्यांकन को निरस्त करवाना चाहा है वहां पर संशोधित मूल्यांकन का कोई कारण नहीं है । धारा 147 व 164 दोनों ही संशोधित मूल्यांकन के बारे में नहीं बताती हैं और न ही यह इंगित करती है कि कब किया जाना है । उक्त धारारों तो यह प्रावधान करती हैं कि कब संशोधन किया जाना है और कब नहीं किया जाना है । गर्वनर जनरल आफ इण्डिया काउंसिल बनाम कलकत्ता निगम के मामले में भी लघुवाद न्यायालय के आदेश को बनाये रखा था कि मूल्यांकन अंतर्गत धारा 127 गलत रूप से किया गया था लेकिन न्यायालय ने नये सिरे से मूल्यांकन का आदेश नहीं दिया था ।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि रायल ऐशियाटिक सोसायटी के मामले में भी उच्च न्यायालय ने न्यायालय को प्रतिप्रेषण की शक्ति होना माना था । यह भी नहीं माना था कि एभी अपीलों में न्यायालय को संशोधित मूल्यांकन करना था ।

अधिनियम के अनुसार, रायल ऐशियाटिक सोसायटी के मामले में इस तथ्य को नजर अंदाज किया था कि निगम को धारा 131 व 136 से 138 के अनुसार मूल्यांकन करना था । इस हेतु अदाकर्ता को मूल्यांकन के संबंध में धारा 139 के अनुसार एतराज करने का अवसर दिया जावे ताकि उसकी शिकायत न्यायालय में आने से पूर्व निपटायी की जा सके । उक्त प्रावधानों की अनदेखी होगी यदि लघुवाद न्यायालय स्वयं मूल्यांकन करता है । जिससे यह प्रकट होता है कि अधिनियम के प्रावधानों की पालना उक्त माननीय दृष्टांत में नहीं हुई है । साथ ही यह भी प्रकट होता है कि असूचित निर्णय एस.आर. दास जिसका उल्लेख ब्रिटिश एण्ड मर्कण्टाइल इन्श्योरेंस कंपनी लि. बनाम कलकत्ता निगम में प्रतिपादित रोशनी का सहारा लिया था । यद्यपि उक्त टिप्पणियां भिन्न प्रकार की थी जिनके अनुसार, यदि लघुवाद न्यायालय निगम द्वारा किये गये मूल्यांकन को रद्द कर देता है और स्वयं मूल्यांकन नहीं करता है तो धारा 147 लागूहोगी । ऐसी स्थिति में मामले को धारा 131(2)(बी) के अंतर्गत निपटारे हेतु छोड़ देना चाहिए । माननीय न्यायिक दृष्टांत एस.आर. दास जे में यह स्पष्ट किया है कि सभी मामलों में लघुवाद न्यायालय संशोधित करने हेतु बाध्य

नहीं है । इसी प्रकार का दृष्टिकोण माननीय न्यायिक दृष्टांतों एस.आर. दास जे. व कलकत्ता निगम बनाम चन्दू लाल भाई चंद मोदी में लिया गया है ।

यदि रायल ऐशियाटिक सोसायटी वाले मामले में यही आशय था कि अपीलीय न्यायालय की शक्ति मूल्यांकन का निरस्त करने और संशोधन की है तो ऐसा मत का समर्थन नहीं किया जा सकता । वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में प्रतिप्रेषण का आदेश इसलिए दिया था क्योंकि निगम ने धारा 131(2)(बी) में दी गयी समय सीमा में मूल्यांकन नहीं किया था । यदि निगम द्वारा मूल्यांकन कर लिया जाता तो उच्च न्यायालय प्रतिप्रेषण का आदेश शायद पारित नहीं करता । धारा 131(2)(बी) में यह प्रावधान है कि जहां पर अनियमितता के आधार पर मूल्यांकन निरस्त कर दिया है और अधिशाषी अधिकारी द्वारा नये सिरे से मूल्यांकन किया जा सकता है । इस प्रकार यह अधिनियम की भावना के विपरीत व्याख्या होगी कि अपीलीय न्यायालय का विवेक होगा कि वह निगम द्वारा पूर्व में किये गये मूल्यांकन को रद्द करने के बाद कार्यवाही करे या नहीं करे । हमारा यह मानना है कि इस प्रावधान के अनुसार एक बार मूल्यांकन रद्द हो जाता है तो नये सिरे से ही मूल्यांकन किया जा सकता है अन्य किसी प्रकार से नहीं । ऐसा ही माननीय न्यायिक दृष्टांत एस.आर. दास जे. में कहा है जिससे हम सहमत भी हैं । इसका एक कारण यह भी है कि जब मूल्यांकन रद्द कर दिया गया है तो अधिनियम के अनुसार न्यायालय नये मूल्यांकन पर विचार नहीं करता है । यदि न्यायालय ऐसा

करता है तो धारा 131(2)(बी) के प्रावधान लागू होंगे । हम इस प्रकार के अस्वाभाविक परिणाम के जन्म देने वाली व्याख्या को सही नहीं मानते हैं ।

जब हम धारा 131(2)(बी) का अवलोकन करते हैं तो यह तर्क नहीं था कि न्यायालय को मूल्यांकन को निरस्त करने की शक्ति नहीं है बल्कि जो कुछ कहा गया था उसके अनुसार मूल्यांकन को निरस्त करने के बाद न्यायालय को नये सिरे से मूल्यांकन करना था । जिसे अस्थिर दृष्टिकोण माना था । धारा 131(2)(बी) वहां लागू होती है जहां पर मूल्यांकन अनियमितता के आधार पर निरस्त किया जो जैसे कि सही प्रक्रिया न अपनाना, नोटिस नहीं देना, सुनवाई का अवसर न देना आदि । इस प्रकार अनियमितता केवलमात्र प्रक्रियात्मक दोष तक ही सीमित नहीं है । ऐसा तर्क खारिज योग्य है जैसा कि कारपोरेशन आफ कलकत्ता बनाम चन्दू लाल भाई चंद मोदी में बताया है ।

इस प्रकार अनियमितता शब्द किसी मामले पर लागू होता है जहां पर अधिनियम में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया हो । इस सिद्धांत में धारा 131(2)(बी) में विशेष प्रावधान के कारण प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला बताया जा रहा है ।

अब हम उस तर्क से निपट सकते हैं जिस पर वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने प्रतिप्रेषण के अपने आदेश को उचित ठहराया था । ऐसा प्रकट होता है कि उक्त आदेश पारित कर अपीलार्थी को धारा 139 के

अंतर्गत मूल्यांकन पर आपत्ति करने के अवसरों से वंचित किया गया है । लेकिन यह भी प्रकट होता है कि ऐसा करने से निगम को निर्धारित समय सीमा में दरों के मूल्यांकन से वंचित कर रहे हैं । धारा 131(2)(बी) समाप्त हो चुका था । निगम को अपनी दरें वसूलने का मौका दिया तो वह दोनों में से कमतर विकल्प को चुनना होगा । इस परिप्रेक्ष्य में, हम तर्क को पूर्णतः असम्मत मानते हैं । किसी वैधानिक प्रावधान का परिणाम कभी बुरा नहीं होता । किसी न्यायालय के पास उस प्रावधान को नजर अंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है, जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न संकट मानता है, उसे राहत देने के लिए कानून को निश्चित रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए, चाहे न्यायालय को परिणाम पसंद हो या नहीं । जब उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 131(2)(बी) के मामले पर लागू होता है तब उसके पास उस प्रावधान को शून्य करने की कोई शक्ति नहीं थी ।

यह निगम के लिए दिये गये एक अन्य तर्क से निपटना बाकी है । यह कहा गया था कि मूल्यांकन के निर्धारण के संबंध में पूरी कार्यवाही एक ओर निरंतर थी और इसका एकमात्र उद्देश्य मूल्यांकन का पता लगाना था और इसलिए गलत आधार पर किये गये मूल्यांकन को रद्द करने वाले न्यायालय के पास नया मूल्यांकन करने की शक्ति होनी चाहिए कि सही आधार पर ही मूल्यांकन किया जावे । हम तर्क से प्रभावित नहीं हैं मूल्यांकन करने की कार्यवाही, चाहे वह निरंतर हो या नहीं, कानून के अनुसार होनी चाहिए । यदि कानून न्यायालय को मूल्यांकन करने की शक्ति

नहीं देता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास वह शक्ति है ताकि अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त किया जा सके । इसका उद्देश्य किसी भी तरह मूल्यांकन करना नहीं है बल्कि इसे केवल अधिनियम के संदर्भ में बनाना है।

ऐसा लगता है कि हमने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है जो हमारे समक्ष उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने पेश किये थे । हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है कि यदि विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जावे तो प्रतिप्रेषण का आदेश उचित नहीं है । प्रतिप्रेषण का आदेश उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के अंतर्गत नहीं था क्योंकि यह अधिनियम के अनुरूप नहीं था । प्रतिप्रेषण व्यर्थ था । यह अधिनियम की भावना के विरुद्ध था क्योंकि इससे अपीलार्थी अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित रहा है । अतः आदेश को अपास्त किया गया ।

अंततः निगम ने परिसर के दो मूल्यांकन किये थे । पहला सामान्य मूल्यांकन जो धारा 131(1) में वर्णित 6 वर्षीय पूरी अवधि के लिए था तथा दूसरा बाद में किया गया । मध्यवर्ती मूल्यांकन जो शेष बची अवधि के लिए था जिसका आधार अतिरिक्त निर्माण कार्य के आधार पर था । इन दोनों मूल्यांकनों पर अपीलार्थी ने धारा 139 के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यवाही एवं धारा 141 के अंतर्गत पृथक-पृथक अपीलों के द्वारा । जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है अपीलों में भी यह मुद्दा था ।

उक्त दोनों आपतियां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाई गयी थी जो एक ही निर्णय से निपटाई गयी थी इसलिए दो अपीलें हमारे समक्ष हैं । परिणामस्वरूप दोनों अपीलों को स्वीकार करते हैं । उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषण आदेश अपास्त किया जाता है तथा लघुवाद न्यायालय का निर्णय बहाल किया जाता है । निगम अपीलों का खर्चा वहन करे ।

न्यायाधिपति रामास्वामी- उक्त दोनों अपीलें विशेष अनुमति से उच्च न्यायालय कलकत्ता के मूल आदेश एफ.एम.ए. 124 व 125/1956 दिनांकित 03 अगस्त 1956 के विरुद्ध पेश की गयी है । उक्त दोनों अपीलें कलकत्ता निगम द्वारा परिसर संख्या-12 मिशन रोड कलकत्ता के संबंध में मूल्यांकन जो कि कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम 1923 (बंगाल अधिनियम तृतीय 1923) के अंतर्गत किया गया से संबंधित है । उक्त दोनों विवादित परिसरों का वार्षिक मूल्यांकन 145354/- रुपये आंकलित किया गया था, जो कि वर्ष 1949-50 के द्वितीय तिमाही का था । उक्त आंकलन कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 की धारा 127(बी) के अंतर्गत किया गया था । निर्धारिती ने मूल्यांकन की मात्रा व रीति के संबंध में आपत्ति की थी जिस पर उपायुक्त नंबर-1 रेस्पॉन्डेन्ट निगम ने जिस रीति से मूल्यांकन किया उसे पुष्ट किया था । लेकिन आंकलन राशि कम करते हुए 128230/- रुपये की । उक्त आदेश के विरुद्ध निर्धारिती ने धारा 183 कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम जो कि इस दौरान अस्तित्व में आ चुका था, के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय में अपील की थी । उक्त अपील का

संख्यांक 216/1954 था । परिसर का सामान्य पुनर्मूल्यांकन के बाद मध्यवर्ती मूल्यांकन नये निर्माण के कारण किया गया था । मध्यवर्ती मूल्यांकन के स्तर पर वार्षिक मूल्यांकन 146992/- रुपये वर्ष 1951-52 की पहली तिमाही से प्रभावी माना, अर्थात् 1 अप्रैल 1951 से अंतर्गत धारा 127(बी) कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 में निर्धारित रीति अनुसार । इस पर निर्धारिती द्वारा आपत्ति किये जाने पर उपायुक्त नंबर 1 निगम ने मूल्यांकन राशि 129588/- रुपये की थी । निर्धारिती ने अंतर्गत धारा 183 कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम में लघुवाद न्यायालय में अपील की । उक्त अपील का क्रमांक नगरपालिका अपील सं. 217/1954 दिया गया । उक्त दोनों अपीलों में लघुवाद न्यायालय ने यह माना कि परिसर का मूल्यांकन कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 की धारा 127 के खण्ड "ए" के अनुसार होना चाहिए था न कि धारा 127 के खण्ड "बी" के अनुसार । प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय ने आंकलन को निरस्त किया और विधि अनुसार नये सिरे से आंकलन हेतु निर्देशित किया । निगम ने मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्णय दिनांकित 3 अगस्त 1959 जिसमें प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय ने कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 की धारा 127(ए) के अनुसार न कि धारा 127(बी) के अनुसार मूल्यांकन किया जाना अभिनिर्धारित किया था और पूर्व के मूल्यांकन को निरस्त कर दिया था, के विरुद्ध अपील की । यद्यपि उच्च न्यायालय ने आदेश को लघुवाद न्यायालय में प्रतिप्रेषण तक संशोधित किया था । उच्च न्यायालय ने यह

आदेशित किया कि मामला प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय को धारा 127(ए) कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 के प्रावधान अनुसार मूल्यांकन हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

इस मामले में अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय का प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित करने और धारा 127(बी) नगरपालिका अधिनियम के अनुसार प्रश्नगत अवधि के लिए मूल्यांकित हेतु भेजना सही था ।

इस स्तर पर कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 के सुसंगत प्रावधानों को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है । धारा 131 में वार्षिक मूल्यांकन व अवधि के आंकलन के संबंध में प्रावधान हैं:- जैसा कि

“131(1) कार्यकारी अधिकारी अधिनियम के तहत ऐसे प्रत्येक वार्ड में भूमि और भवनों का नए सिरे से मूल्यांकन कर सकता है, और ऐसी भूमियों और भवनों का वार्षिक मूल्य ऐसे प्रत्येक वार्ड को होगा । इस तरह के मूल्यांकन जो कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया है । छः साल की अवधि के लिए प्रभावी और उसके बाद छः साल की क्रमिक अवधि की समाप्ति पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा संशोधित किया जा सकता है ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित शर्तें इसके बाद निर्दिष्ट कई मामलों में लागू होंगी, अर्थात्-

(ए)

(बी) कोई भूमि या भवन जिसका मूल्यांकन अनियमितता या जिसका किसी अन्य कारण से मूल्यांकन रद्द कर दिया गया हो । इस अधिनियम के तहत इसे सौंपा गया कोई वार्षिक मूल्य, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, कार्यकारी अधिकारी द्वारा मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है । उप-धारा (1) द्वारा ऐसी भूमि या भवन के संबंध में निर्धारित अवधि और ऐसा मूल्यांकन लागू रहेगा, और ऐसी अवधि के शेष भाग के लिए समेकित दर इसके अनुसार लगाई जाएगी ।”

धारा 139 के अनुसार-

"139(1) कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के तहत किये गये मूल्यांकन से असंतुष्ट है, वह नगरपालिका कार्यालय में ऐसे मूल्यांकन पर अपनी आपत्ति का आधार बताते हुए एक लिखित नोटिस दे सकता है ।

(2) ऐसा नोटिस धारा 137 के अनुसार निर्धारित प्रकाशन के बाद पंद्रह दिनों के भीतर परिदत्त किया जायेगा । धारा 138 में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति के बाद, यदि ऐसा नोटिस प्राप्त होता है । धारा 137 में निर्दिष्ट नोटिस के प्रकाशन के बाद परिदत्त नहीं होता है यदि अधिशाषी अधिकारी उचित समझे तो पंद्रह दिनों की उक्त अवधि को एक महीने से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकता है ”

धारा 140 के अनुसार-

"140(1) ऐसी सभी आपत्तियों को इस हेतु बनाये जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, और, किसी भी आपत्ति की प्राप्ति पर आपत्तिकर्ता को उस समय और स्थान की सूचना दी जायेगी जहां आपत्ति अन्वेषित कराई जायेगी ।

(2) उक्त समय और स्थान पर कार्यकारी अधिकारी या उप कार्यकारी अधिकारी आपत्तिकर्ता या उसके एजेंट की उपस्थिति में आपत्ति की सुनवाई करेगा, यदि वह उचित रूप से उपस्थित होता है, या कर सकता है । कारण, जांच स्थगित करें ।

(3) जब आपत्ति का विनिश्चयन हो जाये, तो पारित आदेश को ऐसे आदेश को मय दिनांक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा ।"

धारा 141 के अनुसार-

"141(1) कोई भी व्यक्ति आपत्ति पर पारित आदेश से यदि असंतुष्ट है, वह उस स्थानीय क्षेत्राधिकारिता वाले लघुवाद न्यायालय जहां पर भूमि या भवन स्थित है, जिसके संबंध में आपत्ति उठायी गयी थी, में अपील कर सकता है ।

(2) ऐसी अपील धारा 140 के तहत पारित आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर लघुवाद न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी उक्त आदेश के साथ आपत्तियां का सार संलग्न होना चाहिए ।

(3) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 के भाग द्वितीय व तृतीय के प्रावधान इस धारा के अंतर्गत की गयी प्रत्येक अपील पर लागू होगा ।

(4) कोई भी अपील की अनुमति तभी दी जावेगी जब आपत्ति धारा 140 के अंतर्गत विनिश्चित की गयी है ।

धारा 142 के अनुसार-

"142(1) धारा 131 के तहत कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक मूल्यांकन धारा 139, 140, 141 के प्रावधानों के अधीन अंतिम होगा ।

(2) धारा 140 के तहत कार्यकारी अधिकारी या उप कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, धारा 141 के प्रावधानों के अधीन, अंतिम होगा ।

(3) धारा 141 के तहत लघुवाद न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जायेगी ।

धारा 147 उस अवधि का प्रावधान करती है जिसके लिए संशोधित मूल्यांकन प्रभावी रहेगा, जिसके अनुसार,

"147. जब धारा 139 या धारा 146 उपधारा (2) के अंतर्गत आपत्ति के अनुसरण में भूमि या भवन का मूल्यांकन संशोधित किया गया या धारा 141 के अंतर्गत अपील की गयी है, वहां संशोधित मूल्यांकन उस तिमाही से प्रभावी होगा, जिससे पूर्व अवधि का मूल्यांकन हुआ था ।

धारा 164 समेकित दर के भुगतान के लिए प्रावधान करती है और मूल्यांकन पर आपत्तियों द्वारा कितना भुगतान सही है। इस प्रकार-

"164(1) जब धारा 139 के तहत किसी मूल्यांकन पर आपत्ति की गयी है, तो आपत्ति के अंतिम निर्धारणतक समेकित दर का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन पर किया जायेगा।

(2) जब आपत्ति का अंतिम निर्धारण में पूर्व का मूल्यांकन बदला गया है तब,

(ए) अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि वापस की जावेगी या निगम की किसी भी वर्तमान या भविष्य की मांग के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी जायेगी, और

(बी) किसी भी कमी को समेकित दर का बकाया माना जायेगा और इस प्रकार देय और वसूलनीय होगा:

इस प्रकार यह तो जाहिर है कि उन विधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन की निगरानी और मूल्यांकन का निरस्तीरकण के परिणाम अलग-अलग हैं। धारा 147 के अंतर्गत संशोधित मूल्यांकन का प्रारम्भ मूल्यांकन अवधि से पूर्व का है जो 6 वर्षों तक प्रभावी रहता है। लेकिन जब मूल्यांकन अनियमितता के आधार पर रद्द किया जाता है वहां अधिशाषी अधिकारी धारा 131(2)(बी) के अंतर्गत परिसर का पुनः

मूल्यांकन कर सकता है । ऐसा मूल्यांकन प्रभावी रहेगा, लेकिन शेष अवधि के लिए समेकित दरें लागू होंगी ।

अपीलार्थी कंपनी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क था कि वर्तमान मामला धारा 131(2)(ए) के दायरे में आता है क्योंकि 1 जुलाई 1949 से शुरू होने वाली पुनर्मूल्यांकन की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए कलकत्ता निगम के अधिकारियों के पास उक्त अधिनियम की धारा 131(2)(बी) के अंतर्गत नया मूल्यांकन करने की कोई शक्ति नहीं है । इसके विपरीत रेस्पॉण्डेन्ट निगम की ओर से श्री विश्वनाथ शास्त्री का तर्क था कि वर्तमान मामला धारा 147 कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 के दायरे में आता है । कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम, संशोधित मूल्यांकन की अवधि की शुरुआत से 6 वर्षों की पूरी अवधि के लिए प्रभावी होगा, जिसके दौरान मूल्यांकन लागू रहा । मेरी राय में रेस्पॉण्डेन्ट की ओर से दिये गये तर्क को सही माना जाना चाहिए । वर्तमान मामले में मूल्यांकन को अंततः प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय या अपील में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है । उच्च न्यायालय का आदेश है कि मूल्यांकन रद्द किया जाये क्योंकि मामले के लिए उपयुक्त धारा 127(ए) के आधार पर नहीं किया गया है । उच्च न्यायालय ने तदनुसार मूल्यांकन को रद्द कर दिया और धारा 127(ए) के तहत वार्षिक मूल्य का आंकलन हेतु मामले को प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय को भेज दिया । पक्षकारान को अपनी इच्छा अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति देने के बाद यह स्पष्ट है कि

मूल्यांकन अभी तक अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है । मामला अभी भी अंतिम निर्णय के स्तर पर है । इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि यह कलकत्ता नगरनिगम अधिनियम 1923 की धारा 131(2)(बी) के तहत मूल्यांकन को रद्द कर दिया गया है । इसके विपरीत मेरी राय में मामला नगरपालिका अधिनियम 1923 की धारा 147 और वर्तमान मामला अन्य धारा के अंतर्गत मूल्यांकन के पुनरीक्षण का मामला है और संशोधित मूल्यांकन जब अंतिम रूप से निर्धारित किया जायेगा तो उस धारा में उल्लेखित समय के बिन्दु से पूर्व व्यापी रूप से प्रभावी होगा ।

मेरी राय में, अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क सही नहीं है । अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतिप्रेषण का आदेश अवैध था क्योंकि यह कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 के धारा 139 के तहत अपीलार्थी द्वारा की गयी आपत्ति के दायरे से बाहर था । यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने केवल मूल्यांकन के आधार पर आपत्ति जताई है, राशि पर नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतिप्रेषण का आदेश कानून के अनुसार नहीं था । मैं इस तर्क को सही नहीं मानता हूँ अपीलार्थी द्वारा धारा 139 के तहत किये गये मूल्यांकन पर आपत्ति थी और आपत्ति का आधार जो भी हो अपीलार्थी का प्राथमिक उद्देश्य मूल्यांकन को रद्द करवाना था । उपायुक्त के समक्ष अपीलार्थी की आपत्ति राशि और मूल्यांकन की विधि दोनों के संबंध में थी और अपीलार्थी का वास्तविक उद्देश्य मूल्यांकन को अपास्त करवाना

था । उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी ने धारा 141 के तहत प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय में अपील दायर की । कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम की धारा 142 में कहा गया है कि "धारा 131 के तहत कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक मूल्यांकन, धारा 139, 140 और 141 के प्रावधानों के अधीन, अंतिम है ।" यह स्पष्ट है कि प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का विषय विवादित परिसर के मूल्यांकन का प्रश्न था, न कि केवल उस आधार के संबंध में जिस पर मूल्यांकन किया जाना था । इसलिए मैं अपीलार्थी की ओर से इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतिप्रेषण का आदेश उसकी अपील के दायरे से बाहर है ।

हालांकि मेरी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीय निर्णय में दिये गये निर्देशों में कुछ सुधार की आवश्यकता है । निर्णय के प्रवर्तनशील भाग में न्यायाधीश महोदय ने लिखा है कि

"यह कलकत्ता निगम का दायित्व है कि वार्षिक मूल्यांकन प्रारम्भिक स्तर पर करे, लेकिन ऐसा कोई मूल्यांकन कलकत्ता निगम ने कानूनन नहीं किया है । इसलिए निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षण के प्रारम्भिक स्तर पर विद्वान न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय अंतर्गत धारा 127(ए) 1923 के अधिनियम में मूल्यांकन करे । ऐसा किये जाने पर अपीलार्थी अपील में तदनुसार संशोधन करने को स्वतंत्र होगा । यदि किये गये संशोधन से

मामला 3 जुलाई 1937 की अधिसूचना की मद संख्या-2 के अधीन आता है तो निर्धारित कम न्यायशुल्क की पूर्ति कर सकेगा । विद्वान न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय उभय पक्ष को साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए तथा साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद हैं, के आधार पर अपना विनिश्चयन करे ।"

मेरा मानना है कि इस पैराग्राफ में दिये गये निर्देशों को अपास्त किया जावे और यह आदेश पारित करना चाहिए कि प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1923 की धारा 127(ए) के अंतर्गत मामला इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित कर उभय पक्ष को साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जावे । इस संशोधन के साथ मैं अपील खारिज कर दूंगा ।

आदेश

इस प्रकार बहुमत के निर्णय अनुसार अपील स्वीकार की जाती है ।
निगम इन अपीलों का खर्चा वहन करे ।

नोट:- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमरथ लाल मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होना और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।